भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1455
08 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए

रक्षा बजट

1455. श्री के.सी. वेणुगोपाल:
श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014-15 से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सशस्त्र बलों की बजटीय मांगों और वास्तविक आवंटन (रुपये में) में कितना अंतर है;
(ख) क्या सैन्य अधिकारियों ने सरकार को बताया है कि विगत कुछ वर्षों में पूंजी व्यय आवंटन अपर्याप्त रहा है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और व्यक्त की गई चिंताओं का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग): एक विवरण संलग्न है।

''रक्षा बजट'' के बारे में राज्य सभा में दिनांक 08 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न सं. 1455 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) राजस्व (निवल) तथा पूंजीगत शीर्ष दोनों के अंतर्गत कुल अनुमानों तथा सशस्त्र सेनाओं {सेना, नौसेना (संयुक्त स्टाफ सहित), और वायुसेना} को किए गए आवंटनों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बीई	
	अनुमानित	आवंटित
2014-15	2,84,079.55	2,10,403.60
2015-16	2,62,335.84	2,27,874.05
2016-17	2,69,242.84	2,33,551.93
2017-18	3,37,238.49	2,41,381.70
2018-19	3,68,786.05	2,58,887.19
2019-20	3,71,033.22	2,84,226.76
2020-21	4,03,219.61	3,01,115.86
2021-22	4,49,508.45	3,24,657.56

(ख) और (ग): पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत अनुमानों तथा सशस्त्र सेनाओं {सेना, नौसेना (संयुक्त स्टाफ सहित), और वायुसेना} को किए गए आवंटनों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बीई	
	अनुमानित	आवंटित
2014-15	1,32,597.69	84,076.95
2015-16	1,04,398.76	86,032.41
2016-17	1,09,449.90	78,731.32
2017-18	1,33,126.34	78,124.04
2018-19	1,57,962.78	83,434.04
2019-20	1,56,776.11	92,014.87
2020-21	1,61,849.20	1,02,432.57
2021-22	1,99,553.44	1,23,000.22

उपरोक्त तालिकाओं से यह देखा जा सकता है कि वित्त मंत्रालय से प्राप्त आवंटन, अनुमानों के अनुसार नहीं हैं, तथापि, व्यय की गति, लंबित प्रतिबद्ध देयताओं इत्यादि के आधार पर वित्तीय वर्ष के दौरान उपयुक्त स्तरों पर अतिरिक्त निधियों की मांग की जाती है। इस संबंध में आगे यह बताया जाता है कि, यदि आवश्यक हो, पुनः प्राथमिकीकरण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रक्षा सेनाओं की संक्रियात्मक तैयारी से समझौता किए बिना, अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण क्षमताओं का अर्जन हो।

*****